


# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिग्ध/अवैध जमाबदी रद्द अभिलेख सं० 130/2018-19

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से

संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
3/3/19	<p>झारखंड सरकार के झापाक-2074/रा० दिनांक-13.05.2018</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा- <u>खैरा</u> मौजा न०- <u>06</u> खाता न० <u>196</u></p> <p>प्लॉट न० <u>1367</u> रकबा <u>0.0000</u> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या <u>15</u> के पृष्ठ संख्या <u>0299</u> पर जमाबदी रैयत <u>श्री विजय कुमार सि. कर्मचारी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>27/3/19</u> को रखे।</p>	<p>अभियुक्ति</p> <p style="text-align: right;">   <u>27-3-19</u>                      अंचल अधिकारी,                      धनबाद।                 </p>


अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

27/3/19


10/4/19

अभिलेख उपास्थिपित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।  
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक  
20/6/20 को रखें।


  
अचल अधिकारी  
धनबाद।


20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि गोंजा  
खेत मौजा नं० 06 खाता 196 प्लॉट  
नं० 1367 रकबा 30001 भूमि से सवधित है। आवेदित  
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआबाद खाते की भूमि है। जमाबदी रियात  
के खोज बिन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का  
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलमन)। आवेदित  
भूमि दाखिल खारिज केस नं० 1879(11) 03-04 के अनुसार कायम है।  
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया  
है। जिसे सवधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबदी को रद्द  
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि  
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।

  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
20.1.20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।